

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता / Scope of Application and Capital Adequacy

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्यता का क्षेत्र / Table DF-1: Scope of Application

लेखांकन और विनियामक समेकन

Accounting and regulatory consolidation

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर लेखांकन मानक (एएस) 21, समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक संस्थाओं का समेकन करता है। सहयोगी संस्थाओं में निवेशों को एएस-23, “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन” के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध किया जाता है।

For the purpose of financial reporting, the Bank consolidates its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21, Consolidated Financial Statements, on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenditure. Investments in associates are accounted for by the equity method in accordance with AS-23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.

समेकित विवेकपूर्ण विनियामक रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक, बीमा कारोबार और किसी गैर-वित्तीय गतिविधियों में शामिल समूह कंपनियों को छोड़कर अपने नियंत्रणाधीन सभी समूह संस्थाओं को शामिल करता है। लेखांकन और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकित स्थिति के साथ बैंक की सहायक और सहयोगी संस्थाओं के विवरण निम्नानुसार हैं :

For the purpose of consolidated prudential regulatory reporting, the consolidated Bank includes all group entities under its control, except group companies which are engaged in insurance business and any non-financial activities. Details of subsidiaries and associates of the Bank along with the consolidation status for accounting and regulatory purposes are given below:

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है: आईडीबीआई बैंक लि.

Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative Disclosures

क. समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत IDBI Asset Management Ltd/ India	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि./ भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/ India	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI MF Trustee Company Ltd is a non- Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
आईडीबीआई इंटेक लि./ भारत IDBI Intech Ltd/ India	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई इंटेक लि. गैर- वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Intech Ltd is a non- Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि./ भारत IDBI Trusteeship Services Ltd/India	हाँ Yes	एएस-21 के अनुसार समेकित, समेकित वित्तीय विवरण Consolidated in accordance with AS-21, Consolidated Financial Statements	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप गैर- वित्तीय संस्था है। इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है। IDBI Trusteeship is a non- Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.
बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	हाँ Yes	एएस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन”. Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड National Securities Depository Limited	हाँ Yes	एस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन”. Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड North Eastern Development Finance Corporation Limited	हाँ Yes	एस-23 के अनुसार इक्विटी प्रणाली द्वारा लेखाबद्ध “समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए लेखांकन”. Accounted for by the equity method in accordance with AS-23, “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements”.	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित Risk weighted for capital adequacy purposes

* एनए - लागू नहीं

* NA – Not Applicable

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

- ख. समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो।

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) संख्यात्मक प्रकटन: / Quantitative Disclosures:

- ग. विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची:
c. List of group entities considered for regulatory consolidation:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	संस्था का मुख्य कार्यकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/ India	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं। Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	₹ 128.10	₹ 383.72
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत IDBI Asset Management Ltd/India	एमएफ़ योजनाओं के तहत जुटाई गई निधियों के निवेशों का प्रबंध करता है। Manages investments of funds raised through MF schemes.	₹ 200.00	₹ 116.58

- घ. सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की संकलित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया हो:
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

किसी सहायक संस्था में ऐसी कोई पूंजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

- ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की संकलित राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल ब्याज की कुल राशि शून्य है।

There is Nil aggregate amount of the bank's total interests in insurance entities.

- च. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:
f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है।

There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता

Table DF-2: Capital Adequacy

बैंक संभावित हानि जोखिमों के प्रति कुशल के रूप में तथा अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है और उसका प्रबंध करता है। बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, नकदी स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के स्ख के बारे में राय तय की जाती है। इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है। साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है। बासेल III मानदंडों का मुख्य ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर है। यथा 31 मार्च 2023 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:

The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behaviour is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections. In line with the Basel III guidelines, which are effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines. The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital. The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2023, is as given below:

सीईटी 1 / CRAR	बासेल III / Basel III
सीईटी 1 / CET 1	18.08%
टियर 1 / Tier 1	18.08%
टियर 2 / Tier 2	2.36%
सीआरएआर / CRAR)	20.44%

जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन / Risk exposure & Assessment

वर्तमान व भावी जोखिमों, जो पिलर-I की मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाती है, की पहचान, मात्रा - निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है। इस नीति में ऐसे जोखिमों पर कार्यवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रूप से आईसीएएपी अभ्यास किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। बैंक की समेकित दबाव परीक्षण नीति भी है जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दबाव परीक्षण अभ्यास तिमाही आधार पर किए जाते हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिजर्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है। बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर दबाव परिदृश्य के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। दबाव परीक्षण रूपरेखा के अंतर्गत बैंक की पूंजी स्थिति और लाभप्रदता पर सकल एनपीए में और अधिक बढ़ोतरी, एनपीए की एनएफबी संबंधी सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों एवं अंतरल प्रतिभूतियों के प्रभाव को समझने के लिए परिदृश्य विश्लेषण शामिल है। विलोम दबाव परीक्षण प्रणाली का उपयोग दबाव के उस स्तर को जानने के लिए किया जाता है जो पूंजी को प्रभावित कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर ले जाए। इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं।

For identification, quantification and estimation of current and future risks which are not captured at all or not fully captured under the Standardised Approach of Pillar-I, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation, thereby maintaining an adequate level of capital. ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. ICAAP policy of the bank also lays down the roadmap for comprehensive stress testing, covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. The stress tests exercises are carried out quarterly incorporating RBI guidelines on Stress testing dated December 02, 2013. The impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analyzed. Stress testing framework includes scenario analysis to understand the impact of further increase in Gross NPA, crystallization of NFB facilities of NPA and Technically Written Off accounts and illiquid securities on capital and profitability of the Bank. The mechanism of reverse stress testing is used to find the level of stress which may adversely hit the capital to take it to a pre-determined floor level. The result of the exercise is reported to the suitable board level committee(s).

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

दिनांक 31 मार्च 2023 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:

The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2023 is as under:

	(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)
पूंजी आवश्यकता / Capital requirement	
ऋण जोखिम पूंजी : / Credit Risk Capital:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardised approach	14,915.92
प्रतिभूतिकरण / Securitisation	0.00
बाजार जोखिम पूंजी : / Market Risk Capital:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardised duration approach	977.17
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	596.94
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	27.00
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	353.01
डेरिवेटिव पर (एफएक्स विकल्प) / On derivatives (FX Options)	0.22
परिचालन जोखिम पूंजी : / Operational Risk Capital:	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	1,806.95
सीसीबी को छोड़ कर कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required excluding CCB	17,700.03
सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात : Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio:	
सीईटी 1 / CET 1	18.24%
टियर 1 / Tier 1	18.24%
टियर 2 / Tier 2	2.35%
कुल (टियर 1 + टियर 2) / Total (Tier 1 + Tier 2)	20.58%

तालिका डीएफ-3क: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन:

Table DF-3a: Credit Risk: General Disclosures:

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार उसकी देयताओं के दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है। ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के जरिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है। यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है। रिपोर्टिंग संबंध तथा सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है।

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. A robust risk governance framework has been put in place to counter the effect of credit risk faced by the Bank. The framework provides a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां / Bank's Credit risk management policies

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों के लिए बाध्यकारी हैं। बैंक की ऋण नीति एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है। नीति दस्तावेज व्यापक दृष्टिकोण और विभिन्न कारोबार क्षेत्रों को उधार देने के लिए मार्गदर्शन, क्रेडिट प्रक्रिया पर मार्गदर्शन के अलावा, ऋण जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और निगरानी गुणवत्ता के साथ-साथ जोखिम समायोजित रिटर्न के बारे में बताता है। यह नीति काउंटर पार्टी, कारोबार समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है। यह नीति मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।

The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio. The policy document lays down broad approaches and guidance for lending to different business segment, besides guidance on credit process, credit risk management, control and monitoring with emphasis on maintaining asset quality as well as risk adjusted return. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across counter parties, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो के लिए मानक निर्दिष्ट किया गया है। यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है। ऋण नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या उसके प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है। यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। Bank's Credit Policy also details the standards for its Retail Assets portfolio. The policy also guides the formulation of individual product program guidelines for various retail products. Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं। नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, रियल एस्टेट, पूंजी बाजार, पण्य, रत्न और आभूषण तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है। इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं।

Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. to control concentration of credit risk. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Real Estate, Capital Markets, Commodities, Gems and Jewelry and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर विशिष्ट नीतियां हैं। नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक शुद्ध लेखा पद्धति का पालन करते हुए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत एक्सपोजर की गणना भी करता है।

The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries. In line with regulatory guidelines, the Bank also computes exposure under Large Exposure Framework (LEF) following the net accounting method.

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया : / Credit risk assessment process:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है। बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है। बैंक ने आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है, जोकि रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है। उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके। एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है। खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा-परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है।

The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals. The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility. Different risk parameters such as financial,

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower. Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by senior officers in the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model. In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

ऋण पोर्टफोलियो निगरानी : / Credit Portfolio Monitoring:

आंतरिक और विनियामक सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अनुचित संकेंद्रण (उधारकर्ता या उद्योग) से बचने के लिए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इसे उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर सूचित किया जाता है। इसके अलावा, आस्ति पोर्टफोलियो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने दो आयामी रणनीति अर्थात् घटना की रोकथाम और एनपीए का समाधान/ वसूली, अपनाई है। इस संबंध में बैंक की एनपीए नीति है जिसमें गहन निगरानी, लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और उचित सक्रिय सुधारात्मक कार्रवाई योजना द्वारा मौजूदा मानक आस्तियों की गिरावट की रोकथाम और एनपीए की वसूली/ समाधान के लिए दिशानिर्देश तय किए गए हैं। बैंक ने महामारी से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अपने कर्जदारों को कोविड राहत पैकेज के तहत दी जाने वाली नियामक छूट का विस्तार किया है।

The credit portfolio of the Bank is monitored on regular basis to ensure compliance with internal and regulatory limits as well as to avoid undue concentration (borrower or Industry). The same is periodically reported to the senior management. Further, to ensure high quality of the asset portfolio the Bank has adopted a two pronged strategy i.e., containment of incidence of asset slippages and resolution/recovery from NPAs. In this regard, the Bank has an NPA management policy, which sets out guidelines for restricting slippage of existing standard assets and recovery / resolution of NPA by close monitoring, constant follow-up and evolving a suitable proactive Corrective Action Plan. Bank has extended the regulatory dispensations allowed under Covid relief package to its borrowers to minimize the stress which emanated from pandemic.

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं : / Definitions of non-performing assets:

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक अग्रिमों में करता है। अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है, जहां मीमांसा के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्त 90 से अधिक दिन से अतिदेय हो और खाता ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है। यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है। जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है। अन्य एनपीए निम्नानुसार हैं : The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines. The non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where i. interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan and the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'. Other NPAs are as under:

- क्रय किए गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हो,
The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- अल्पावधि कृषि ऋण के मामले में ब्याज अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो,
The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- दीर्घावधि कृषि ऋण के मामले में ब्याज अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी एक फसल मौसम से अतिदेय हो,
The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
- भारतीय रिजर्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के अनुसार प्रतिभूतिकृत लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है,
The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of the Reserve Bank of India (Securitisation of Standard Assets) Directions, 2021.
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिदेय प्राप्य, यदि ये भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त रहते हैं।
In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

- ब्याज भुगतान के मामले में, बैंकों को किसी खाते के एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, यदि किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित किया गया ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से सेवाकृत नहीं हैं।
In case of interest payments, banks should, classify an account as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो। किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है, जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह से अधिक अवधि से हो। हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो।

NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for a period of 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off wholly.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है।

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

ख. और ग. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर एवं एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित

b. & c. Total gross credit risk exposures & Geographic distribution of exposures: Fund and Non-fund based

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
देशी / Domestic	2,19,767.17	79,763.03	2,99,530.20
विदेशी / Overseas	7,724.61	0.00	7,724.61
कुल सकल ऋण एक्सपोजर* Total Gross Credit Exposures*	2,27,491.78	79,763.03	3,07,254.81

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल हैं

* Credit Exposure excludes the Investment

घ. सकल ऋण एक्सपोजर का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण : निधि आधारित व गैर-निधि आधारित:

d. Industry type distribution of Gross credit exposures: Fund and Non-fund based :

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

उद्योग Industry	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर FB Credit Exposure	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर NFB Credit Exposure	कुल ऋण एक्सपोजर* Total Credit Exposure*
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture & Allied Activities	31,362.91	59.73	31,422.64
परिवहन परिचालक / Transport Operators	631.02	74.92	705.93
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software	252.72	247.87	500.58
पर्यटन, होटल और रेस्तराँ Tourism, Hotel and Restaurants	923.17	22.31	945.48

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

उद्योग Industry	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर FB Credit Exposure	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर NFB Credit Exposure	कुल ऋण एक्सपोजर* Total Credit Exposure*
शिपिंग / Shipping	8.75	0.10	8.85
पेशेवर सेवाएं / Professional services	1,974.13	252.01	2,226.14
व्यापार / Trade	17,191.06	1,833.71	19,024.77
वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा / Commercial Real Estate	524.32	297.36	821.68
एनबीएफसी / NBFCs	20,642.08	876.11	21,518.20
अन्य सेवाएं / Other Services	7,370.28	2,144.02	9,514.30
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित) Housing Loans (Incl priority sector housing)	63,620.63	3.87	63,624.50
उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer Durables	24.68	0.18	24.86
क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियाँ / Credit Card Receivables	405.09	0.08	405.17
वाहन / ऑटो ऋण / Vehical/Auto Loans	1,967.46	21.83	1,989.29
शिक्षा ऋण / Education Loans	1,962.94	0.78	1,963.72
सावधि जमा राशियों (एफसीएनआर (बी) आदि सहित) पर अग्रिम Advances against Fixed Deposits (incl. FCNR(B), etc.)	2.44	0.00	2.44
अन्य खुदरा ऋण / Other Retail Loans	3,785.46	5.22	3,790.68
खनन और उत्खनन / Mining and Quarrying	3,635.59	1,074.80	4,710.39
खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing	3,132.48	539.02	3,671.50
पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	409.20	85.42	494.62
वस्त्र / Textiles	3,635.80	595.57	4,231.37
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद Leather and Leather products	112.63	22.71	135.34
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद Wood and Wood Products	109.66	38.50	148.16
कागज और कागज उत्पाद Paper and Paper Products	739.55	458.60	1,198.15

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)			
उद्योग Industry	निधि आधारित ऋण एक्सपोजर FB Credit Exposure	गैर-निधि आधारित ऋण एक्सपोजर NFB Credit Exposure	कुल ऋण एक्सपोजर* Total Credit Exposure*
पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और नाभिकीय ईंधन Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2,159.03	3,899.61	6,058.64
रसायन और रसायन उत्पाद (ड्राई, पेंट आदि) Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)	6,406.15	2,617.20	9,023.35
रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद Rubber, Plastic and their Products	1,267.52	413.59	1,681.11
काँच और काँच के बर्तन Glass & Glassware	34.19	1.26	35.45
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद Cement and Cement Products	1,085.63	834.13	1,919.76
मूल धातु और धातु उत्पाद Basic Metal and Metal Products	7,075.23	9,074.31	16,149.54
सभी इंजीनियरिंग All Engineering	3,175.73	7,945.45	11,121.18
वाहन, वाहन पुर्जे और यातायात उपकरण Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1,237.77	1,058.95	2,296.72
रत्न एवं आभूषण Gems and Jewellery	1,718.87	1,049.67	2,768.55
निर्माण Construction	2,732.82	2,030.48	4,763.30
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिम के साथ मिलान करने के लिए) Residuary other advances (to tally with gross advances)	16,543.92	15,266.57	31,810.49
इन्फ्रास्ट्रक्चर Infrastructure	18,882.71	26,765.87	45,648.57
अन्य उद्योग Other Industries	748.16	151.23	899.39
कुल / TOTAL	2,27,491.78	79,763.03	3,07,254.81

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं

* Credit Exposure excludes the Investment

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

सकल ऋण एक्सपोजर में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग *

Industries having more than 5% of the Gross credit exposures*

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)	
			कुल Total	%
आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास सहित) Housing Loans (Incl. priority sector housing)	63,620.63	3.87	63,624.50	20.71%
इन्फ्रास्ट्रक्चर / Infrastructure	18,882.71	26,765.87	45,648.57	14.86%
कृषि एवं सम्बन्धित कार्यकलाप Agriculture & Allied Activities	31,362.91	59.73	31,422.64	10.23%
एनबीएफसी / NBFCs	20,642.08	876.11	21,518.20	7.00%
व्यापार / Trade	17,191.06	1,833.71	19,024.77	6.19%
मूल धातु और धातु उत्पाद Basic Metal and Metal Products	7,075.23	9,074.31	16,149.54	5.26%

* ऋण एक्सपोजर में निवेश शामिल नहीं हैं / * Credit Exposure excludes the Investment

ड. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण:

e. Residual contractual maturity breakdown of assets:

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	31 मार्च 2023 को आस्तियां / Assets as on March 31, 2023				
	रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल आस्तियां Total Assets
1 दिन / Day 1	3,068.56	18,989.79	445.70	15.45	22,519.51
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	5,290.13	16,531.35	1,164.50	797.61	23,783.59
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	1,352.42	1,713.17	1,238.73	53.91	4,358.22
15 से 30 दिन / 15 to 30 days	5,452.97	2,177.54	2,609.17	2,421.17	12,660.85
31 दिन से 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2,424.43	2,461.33	5,555.16	384.29	10,825.21
2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	2,483.67	3,297.20	3,605.74	19.92	9,406.52
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	636.68	4,052.58	7,408.46	177.91	12,275.63
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1,384.51	6,277.12	11,593.18	549.53	19,804.34
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	6,939.61	28,171.02	50,791.28	3,115.00	89,016.90
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	192.83	4,117.16	12,121.76	19,614.36	36,046.11
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	59.98	11,901.49	66,034.05	11,718.21	89,713.73
कुल / TOTAL	29,285.77	99,689.75	1,62,567.73	38,867.36	3,30,410.60

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

च. छ एवं ज. अनर्जक आस्तियां (सकल) एवं निवल अनर्जक आस्तियां तथा अनर्जक आस्तियों का अनुपात :

f.g & h. Amount of NPAs (Gross) & Net NPAs & NPA Ratios

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)	
विवरण / Particulars	राशि / Amount
कुल अग्रिम / Gross Advances	1,72,042.28
निवल अग्रिम / Net Advances	1,62,567.73
यथा 31 मार्च 2023 को सकल अनर्जक आस्तियां / Gross NPA as on March 31, 2023	
क. अवमानक a. Substandard	1,006.37
ख. संदिग्ध 1 b. Doubtful 1	977.64
ग. संदिग्ध 2 c. Doubtful 2	1,268.93
घ. संदिग्ध 3 d. Doubtful 3	742.53
ड. हानि e. Loss	6,973.81
कुल / TOTAL	10,969.28
एनपीए प्रावधान * / NPA Provision*	9,474.55
निवल एनपीए / Net NPA	1,494.74
एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%) / Gross NPAs to Gross Advances (%)	6.38%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	0.92%

* एनपीए, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी पर एनपीवी हानि सहित.

* Including NPV Loss on NPA, ICA Provision and NCLT.

झ. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में उतार-चढ़ाव:

i. Movement of Non-Performing Assets (NPA):

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)	
विवरण (सकल एनपीए) Particulars (NPA Gross)	यथा 31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
1 जनवरी 2023 को आरंभिक शेष / Opening Balance as on January 01, 2023	23,535.06
परिवर्धन / Additions	861.69
बटूटे खाते / Write Offs	10,565.33
कटौतियां / Reductions	2,862.13
अंतिम शेष / Closing Balances	10,969.29

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

ज. क) विशिष्ट एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:
j. a) Movement of Specific NPA Provisions:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As March 31, 2023
	विशिष्ट प्रावधान * Specific Provisions*
1 जनवरी 2023 को आरंभिक शेष / Opening Balance as on January 01, 2023	21,939.42
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Add : Provision made during the period	749.58
घटाएं : प्रतिक्रमिय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित / Less : Transfer to Countercyclical Provisional Buffer	0.00
घटाएं : बट्टे खाते डाली गई राशि / Less : Write offs	10,565.33
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / Less : Write Back of excess provision	2,649.12
अंतिम शेष / Closing Balances	9,474.55

* एनपीए, आईसीए प्रावधान व एनसीएलटी पर एनपीवी हानि सहित.

* Including NPV Loss on NPA, ICA Provision and NCLT.

ख) सामान्य एनपीए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:
b) Movement of General Provisions:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As March 31, 2023
	सामान्य प्रावधान General Provisions
1 जनवरी 2023 को आरंभिक शेष Opening Balance as on January 01, 2023	1653.30
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provision made during the period	104.94
घटाएं : प्रतिक्रमिय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित Less : Transfer to Countercyclical Provisional Buffer	0
घटाएं : बट्टे खाते डाली गई राशि / Less : Write offs	0
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / Less : Write Back of excess provision	-
अंतिम शेष / Closing Balances	1758.24

बट्टे खाते डाली गई और वसूलियाँ जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई हैं, 31 मार्च 2023 तिमाही के लिए ₹ 568.17 करोड़ हैं।

Write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement is ₹ 568.17 Crore for March 31, 2023 quarter.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

ट एवं ठ. यथा 31 मार्च 2023 को अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की स्थिति

k & l. Position of Non-Performing Investments (NPI) as on March 31, 2023

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की राशि Amount of Non-performing Investments (NPI)	1321.32
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि Amount of provisions held for Non-performing Investments	1321.32

ड. निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का घट-बढ़ (तिमाही दर तिमाही आधार पर)

m. Movement of provisions for depreciation on investments (Q2Q)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
1 जनवरी 2023 को आरंभिक शेष / Opening Balance as on January 01, 2023	5,729.41
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	1,448.46
अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/ पुनरांकन / Write offs / Write Back of excess provisions	2,052.11
अंतिम शेष / Closing Balance	5,125.76

ढ. प्रमुख उद्योगवार एनपीए, विशिष्ट प्रावधान एवं बट्टे खाते *

n. By major industry wise NPA, Specific Provisions & Write-Offs *

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को As of March 31, 2023		मौजूदा अवधि के दौरान During the current Period	
	सकल एनपीए Gross NPA	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए) Specific Provision (NPA)	विशिष्ट प्रावधान (एनपीए) Specific Provision (NPA)	बट्टे खाते डाले गए Write-Offs
शीर्ष 5 उद्योगों में एनपीए और किए गए विशिष्ट प्रावधान NPAs and Specific Provisions in Top 5 Industries	3910.33	3878.20	शून्य Nil	5797.64

* उद्योगों में सकल ऋण एक्सपोजर के आधार पर चिह्नित उद्योग.

* Industries identified based on Gross Credit Exposure to Industries.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

ण. क) एनपीए एवं विशिष्ट प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

o. a) Geography based position of NPA & Specific Provision break-up:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को / As on March 31, 2023		
	देशी Domestic	विदेशी Overseas	कुल Total
सकल एनपीए / Gross NPA	8,507.37	2,461.92	10,969.29
एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान Specific Provision for NPA	7,012.63	2,461.92	9,474.55

ख) सामान्य प्रावधान विश्लेषण की भौगोलिक स्थिति :

b) Geography based position General Provision break-up:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2023 को / As on March 31, 2023		
	देशी Domestic	विदेशी Overseas	कुल Total
सामान्य प्रावधान / General Provision	1748.11	10.13	1758.24

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन

Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

बैंक पुंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है। बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क, एसीयूईटीआईई, इंफोमेरिक्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करें। प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में एवं तुलन-पत्र से इतर सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं रेटिंग्स पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हैं।

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings, ACUTIE, INFOMERICS and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's. The ratings assigned, are used for all eligible on balance sheet & off balance sheet exposure. Only those ratings which are publicly available and are in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है। बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है।

The entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment, to be eligible for risk weighting purposes. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। ऐसे मामले, जहाँ दो रेटिंग हैं, अलग-अलग जोखिम भार को आकर्षित करते हुए, उच्च जोखिम भार लागू किया जाता है। तीन या अधिक रेटिंग के मामले में द्वितीय निम्नतर रेटिंग भार लागू किया जाता है। 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

TheThe process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where there are two ratings, attracting different risk weights, the higher risk weight are applied. In case of three or more ratings, the rating with second lowest risk weight is applied. The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

जोखिम-भार Risk Weight	निवल एक्सपोजर Net Exposure
100% से कम / Less than 100%	2,63,647.30
100% पर / At 100%	37,939.99
100% से अधिक / More than 100%	20,070.94
पूँजी से कटौती / Deduction from Capital	46.10
कुल / TOTAL	3,21,704.32

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोणों का प्रकटन

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches:

संपार्श्विक प्रतिभूति, उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को प्रतिभूत करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक आस्ति या अधिकार है। ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जो संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों को कवर करती है। इसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं। तुलन-पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमा राशियों तक सीमित है जहां बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है। यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है और निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है। बैंक के ऋण एक्सपोजरों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है। उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है। बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमा राशियां, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न कर्ज प्रतिभूतियां शामिल हैं। गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक, आदि शामिल हैं। तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी और ऑटो ऋण के लिए यह वाहन होगी। अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां, जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमा राशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं।

Collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. Bank obtains collaterals against its exposures to mitigate credit risk. The Bank has a Board approved Credit policy which covers Collateral Management and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques. These include norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals. On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement. Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

बैंक अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है। तथापि, केवल उन्हीं गारंटियों पर विचार किया जाता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिना शर्त होती हैं। संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक डीलरों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉर्पोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है। बैंक अपने सामने आनेवाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को दिए गए बैंक के ऋण एक्सपोजर को कम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिपक्षी के ऋण एक्सपोजर को उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है। मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें एक्सपोजरों और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होनी वाली अस्थिरता भी शामिल है। पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूंजी बचत का लाभ उठाने के

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

लिए एक्सपोजर की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है। एक्सपोजर का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए।

The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) managed guarantees and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines. The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

बैंक का एक्सपोजर जहाँ सीआरएम तकनीकें प्रयुक्त की गई निम्नानुसार हैं:

The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित * Non-Fund Based *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल एक्सपोजर Total Exposures covered by eligible financial collateral	17,059.77	11,754.61
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद एक्सपोजर Exposure after taking benefit of eligible collateral	2,048.07	7,157.34

* गैर-बाजार संबद्ध / * Non-Market Related

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहाँ सीआरएम तकनीक के रूप में कॉर्पोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहाँ यथा दिनांक 31 मार्च 2023 को एक्सपोजर की राशि ₹ 12158.89 करोड़ थी।

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹ 12158.89 Crore as on March 31, 2023.

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन DF-6: Securitization exposure-Disclosure for Standardized Approach

डीएफ - 6 गुणात्मक प्रकटन DF - 6 Qualitative Disclosures

क) बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं :

a) The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:

- प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जहाँ तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं।

The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.

बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है। अतः ऋण जोखिम का अंतरण लागू नहीं है।

Bank has not securitized-out any standard loans during year ended as on March 31, 2023. Hence, transfer of credit risk is not applicable..

तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने और बेहतर प्रतिफल के उद्देश्य से बैंक ने अतीत में पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है।

However, in order to supplement the achievement of target in Priority Sector Lending (PSL) and gain good yield, the Bank has invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI/HFCs.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

- प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप
The nature of other risks inherent in securitized assets.

लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है।
Not applicable as the Bank has not securitized-out any standard loans.

पीटीसी में निवेश के मामले में अंतिम उधारकर्ताओं से वसूली गई राशि से चुकौती की जाती है। साथ ही, पूल रेटिंग पर आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किए अनुसार ऋण वृद्धि भी उपलब्ध है। यदि समूह में हानि का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है, तो हानि को बैंक द्वारा वहन की जाती है।
In case of investment in PTCs, the repayment is done out of the collections from the ultimate borrowers. Further Credit Enhancement is also available as determined by Rating Agency based on the rating of the pool. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, then the losses are to be borne by Bank.

- प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का उल्लेख;
The various roles played by the Bank in the securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;

बैंक ने प्रतिभूतिकरण लेनदेन में निवेशक की भूमिका अदा की है। बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिभूतिकरण हेतु ऋण वृद्धि या चलनिधि सुविधा प्रदान नहीं की है। यथा 31 मार्च 2023 तक उपर्युक्त श्रेणी में एक्सपोजर निम्नलिखित हैं:
Bank has played the role of Investor in the securitization transactions. Bank has not provided Credit Enhancement or Liquidity Facility for Securitization during last FY 2022-23. The exposures in above category as on March 31, 2023 is as under:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	अदा की गई भूमिका Role played	लेनदेनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved
1	निवेशक (बकाया) / Investor (O/s)	9	303.47
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा/ चलनिधि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)	शून्य Nil	शून्य Nil

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures.

बैंक की ऋण नीति और निवेश नीति के अनुसार वसूली निष्पादन, चुकौती तथा समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि का उपयोग, मार्क-टु-मार्केट मूल्यांकन, प्रतिभूतिकरण के निवेशित पोर्टफोलियो में पूल की समुचित सावधानी और समीक्षा रेटिंग की आवधिक निगरानी करता है।
Bank periodically monitors the collection performance, repayments, prepayments, utilization of Credit Enhancement, Mark to Market valuation, due diligence and rating review of the pools in invested portfolio of Securitization as per Credit Policy and Investment policy of the Bank..

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के अंतर्गत प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण;
a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures;

बैंक रिजर्व बैंक के दिनांक 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 तथा 24 सितंबर 2021 के परिपत्र और बैंक की ऋण नीति और निवेश नीति में वर्णित अनुसार प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में निवेशों पर रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। बैंक मुख्यतः आस्तियों के समुच्च संग्रहण/ चुकौतियों के साथ-साथ विशेषतः अतिरिक्त ब्याज प्रसार पर अपना अधिकांश भाग निवेश करता है। बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियां अर्जित करता है।

The Bank follows extant RBI guidelines on Investment in securitized papers/ PTCs as outlined in RBI circular dated May 07, 2012, August 21, 2012, September 24, 2021 and Bank's extant Credit policy & Investment policy. Bank invests in the senior tranche with first right on the collections/repayments in the pool of assets along with first right on the excess interest spread also. The Bank acquires securitized assets with adequate Credit Enhancement as stipulated by the external rating agencies.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

ख) प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : b) Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:

<ul style="list-style-type: none"> लेनदेनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण; Whether the transactions are treated as sales or financings; 	<p>बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है। तथापि इसने अतीत में एनबीएफसी/एमएफआई से लेनदारियों के अर्जन के माध्यम से निवेश किया है जिसे बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है। Bank has not securitized any standard loans. However, it has invested through acquisition of receivables from NBFC/MFI/HFC in the past, which is treated as investments in the books of bank.</p>
<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased 	<p>प्रतिभूतिकृत कागजात/ पीटीसी में बैंक के निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उसका एमटीएम मूल्यांकन रिजर्व बैंक/ एफआईएमएमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। The Bank's Investment in securitized papers/ PTCs are categorized under Available For Sale (AFS) category and MTM valuation of the same has been carried out as per RBI/ FIMMDA guidelines. .</p>
<ul style="list-style-type: none"> गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव; Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; 	<p>कोई परिवर्तन नहीं No change</p>
<ul style="list-style-type: none"> उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन- पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं। Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets. 	<p>बैंक के पास आज की तारीख में कोई प्रत्यक्ष प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर नहीं है। तथापि, अन्य बैंकों द्वारा किए गए पीटीसी लेनदेनों के लिए ऋण संवर्धन के रूप में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंक गारंटी (बीजी) को बैंक की बही में आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया जाएगा और तदनुसार लेखांकन कार्रवाई की जाएगी। बैंक ने कोई बीजी और ऋण वृद्धि प्रदान नहीं की है। The Bank has no direct securitized exposure as on date. However, if Bank Guarantee (BG) provided by the Bank as credit enhancement for PTC transactions carried out by other banks, it will be recognized as contingent liabilities in Bank's book and accounting treatment will be given accordingly. Bank has not provided any BG as Credit Enhancement..</p>
<p>ग) बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है। In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.</p>	<p>31 मार्च, 2023 को प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को बैंक की बही में निवेश के रूप में माना जाता है और अधिगृहीत पूल को क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और ब्रिक्वर्क द्वारा बाहरी रूप से रेटिंग की जाती है। पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) मार्ग के माध्यम से ऋण पोर्टफोलियो को प्रतिभूत किया गया। The The securitization exposure as on March 31, 2023 are treated as investment in bank's book and pool acquired are externally rated by CRISIL, CARE and ICRA. The loan portfolios are securitized through Pass Through Certificate (PTC) route.</p>

बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं:

Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Banking book are as follows:

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि d) The total amount of exposures securitized by the bank	शून्य Nil
ड) प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के लिए, एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा अभिनिर्धारित हानि। e) For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

च) f)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitized within a year.	शून्य Nil
छ) g)	इनमें से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हुई आस्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	लागू नहीं Not Applicable
ज) h)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) और एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर दर्शाया नहीं गया अभिलाभ या हानि. The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य Nil
झ) i)	निम्न की कुल राशि: Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिधारित या खंडों में खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and एक्सपोजर प्रकार द्वारा तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type 	शून्य Nil शून्य Nil
म j)	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजरों में विभक्त और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार बैंड में विभाजित Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach एक्सपोजर जिन्हें टियर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोजर. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing Interest only strips deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital. 	शून्य Nil शून्य Nil

ट्रेडिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं:

Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Trading book are as follows:

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं।

Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.

बैंक द्वारा किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया गया है।
No standard loans have been securitized by Bank.

ठ) निम्न की कुल राशि: / Aggregate amount of:

- l) • एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिधारित या खंडों में खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; और
on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and

बैंक ने 31.03.2023 को चालू वित्तीय वर्ष में पास-थ्रू-सर्टिफिकेटों (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी/ एमएफआई/एचएफसी द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में ₹ 197.21 करोड़ (3 नए पीटीसी लेनदेन) का निवेश किया।

The Bank's investment in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI/HFC in current financial year as on 31.03.2023 is Rs.197.21 crore (3 new PTC transactions).

यथा 31 मार्च 2023 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 303.47 करोड़ था।
The total outstanding PTC portfolio as on March 31, 2023 was ₹ 303.47 crores.

- एक्सपोजर प्रकार द्वारा तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर.
off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.

शून्य
Nil

ड) निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि:
Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:

- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा
Securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and
- विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर.
Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.

यथा 31 मार्च 2023 को कुल बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 303.47 करोड़ था। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में बैंक ने प्रतिभूतिकरण के माध्यम से पीएसएल पोर्टफोलियो (कुल ₹ 197.21 करोड़ के 3 नए पीटीसी लेनदेन) में निवेश/ क्रय किया है।

The total outstanding PTC portfolio as on March 31, 2023 was ₹ 303.47 crores. Bank has invested /purchased PSL portfolio through Securitization (3 new PTC transactions aggregating ₹ 197.21 crores) during year ended March 31, 2023.

विशिष्ट जोखिम भार दायरों के साथ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर:
Securitization exposure with Specific risk weight:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

क्रम सं. S. No.	राशि Amount	रेटिंग Rating	जोखिम भार Risk Weight
1.	74.41	एएए / AAA	1.80%
2.	196.37	ए/ए- / A/A-	2.70%
3.	32.69	डी / D	4.50%
कुल Total	303.47		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

ढ) निम्न की कुल राशि : / Aggregate amount of:

- n) • विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए अपेक्षित पूंजी.

the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जिन्हें टियर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर.

Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing Interest only strips deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

क्र. सं. S. No.	राशि Amount	रेटिंग Rating
1.	5.59	एएए / AAA
2.	7.87	ए/ए- / A/A-
3.	2.43	ए / A
कुल Total	15.89	

शून्य
Nil

डीएफ-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम:

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

बाजार जोखिम बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, विनिमय दरों और पण्य दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव तथा उनमें होने वाली अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम है। बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से किए जाने वाले ट्रेडिंग कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय एक्सपोजरों की निगरानी व प्रबंधन करता है। यह प्रणाली वित्तीय बाजारों के अप्रत्याशित स्वरूप पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों के धन पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करती है।

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimize any adverse impact on the shareholders' wealth.

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम और डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुसार किए जाते हैं और ये वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं। प्रक्रिया एवं उत्पाद नवोन्मेषों के अलावा कारोबार आवश्यकताओं, आर्थिक परिवेश और कानूनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations..

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक शामिल हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके। एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है। ब्याज दरों में घट-बढ़ से बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर पड़ने वाले प्रभाव के जरिए ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण का आकलन किया जाता है। बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है जिनका प्रबंधन किया जाना हो। इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है। बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, पीवी01, संशोधित अवधि, हानि रोक, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी ऋण सहायता, दबाव परीक्षण आदि शामिल हैं..

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) and Market value of Equity (MVE) of the Bank. The Market Risk and Derivative Policy identify the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure,

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश नीति बाजार उतार-चढ़ाव और रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक अपनी बाजार जोखिम का निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है: / The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. व्यापार बही अस्तियों, ब्याज दरों व मुद्राओं से सम्बद्ध जोखिमों का निर्धारण
Identifying risks pertaining to trading book assets, interest rates and currencies
2. जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना
Formulating and implementing risk management policies
3. जोखिम वहन क्षमता का मूल्यांकन तथा कारोबार के संदर्भ में उपयुक्त सीमा तय करना
Assessing risk appetite and setting appropriate limits in consultation with business
4. निगरानी व नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करना / Establishing monitoring and control mechanisms
5. जोखिम में कमी लाते हुए परिचालन लागत कम करना / Reducing operating costs through risk containment
6. जोखिम स्तरों की समीक्षा करना / Reviewing risk levels
7. जोखिम समायोजित कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन / Assessing risk adjusted performance

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी)/ मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए और अपवाद की स्थितियों, यदि कोई हों, की जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है। इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

1. प्रत्यायोजन: ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है। निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं। एमआरजी संबंधित नीतियों में निर्धारित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी करता है।
Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.
2. नियंत्रण: सिस्टम में पर्याप्त डेटा एकीकरण आधारित नियंत्रण मौजूद है। इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखा परीक्षा के लिए भी किया जाता है।
Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.
3. अपवाद संचालन प्रक्रिया: नीतियों के अंतर्गत तय की गई ऋण सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अपवादों को न्यूनतम रखने हेतु लागू किया जा रहा है। ऋण सीमाओं के उल्लंघन/ अपवाद, यदि कोई हो, का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यायोजित प्राधिकारियों से अभिपुष्ट कराया जाता है।

Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

एमआरजी, वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समितियों के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है। बैंक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विनियामकों को भी रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स के संबंध में सीमाएं निर्धारित की जाती हैं जिनकी आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है।

The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

यथा 31 मार्च 2023 को बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन
Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2023

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
कुल / Total	977.17
i) ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	596.94
ii) इक्विटी स्थिति जोखिम / Equity Position Risk	353.01
iii) विदेशी विनिमय जोखिम / Foreign Exchange Risk	27.00
iv) डेरिवेटिव पर (फॉरेक्स विकल्प) / On derivatives (FX Options)	0.22

तालिका डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम

Table DF-8: Operational Risk

परिचालनगत जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों एवं पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है। इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना / Operational Risk Management Framework

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना तथा इन जोखिमों को निगरानी और इन्हें कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है।

The Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy in place. The main objectives of the policy are identification and assessment of operational risks attached to banking activities and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

बैंक के पास सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना है और इसने परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से युक्त एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना की स्थापना भी की है। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों पर समीक्षा रिपोर्टें ओआरएम कक्ष द्वारा बोर्ड की ओआरएमसी और आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं।

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board by the ORM Cell.

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए संगठित प्रयास कर रहा है। बैंक ने बैंक के परिचालनगत जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन के लिए मुख्य जोखिम सूचक तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन ढांचों को स्थापित और कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मुख्य जोखिम सूचक (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) के जरिए परिचालनगत जोखिम के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए व्यापक परिचालन जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (कोर) की व्यवस्था की है। बैंक परिचालनगत हानि संबंधी आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी शृंखलाओं तथा हानि प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है। ओआरएम अनुभाग पूंजी और आय पर इसके प्रभाव के अध्ययन के लिए आवधिक रूप से परिचालनगत जोखिम हानियों और विविध अन्य सत्यभाषी जोखिम चालकों पर दबाव जांच तथा परिदृश्य विश्लेषण अभ्यास भी आयोजित करता है। प्रथम स्तरीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ-साथ परिचालनगत स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों को निरंतर जागरूक करने हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पर नियमित रूप से दबाव जांच और परिदृश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

At present, the Bank is following the Basic Indicator Approach for computation of capital charge for Operational Risk. The Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management systems & procedures. The Bank has framed and implemented Key Risk Indicator and Risk & Control Self-Assessment frameworks for identification & assessment of Operational Risks. Further, the Bank has procured Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) System for capturing and evaluating Operational Risk through Key Risk indicators (KRI) and Risk Control-Self Assessment (RCSA). The Bank has also been collecting operational risk loss data and categorizing into various loss

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

event types in accordance with the RBI guidelines. ORM Section also conducts Stress Testing and Scenario Analysis exercise periodically on Operational Risk Losses and various other plausible risk drivers to study its impact on capital and income. Training programmes on Operational Risk Management are periodically conducted for continued sensitization of field functionaries as well as officers working at various levels to strengthen the first line of defence.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के अनुपालन हेतु बैंक के पहल कार्य

Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने के लिए और ग्राहकों को महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार में व्यवधान की संभावित घटना में महत्वपूर्ण बैंकिंग परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के पास पहले से ही एक मजबूत और लचीला कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) है जोकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति द्वारा निर्देशित है।

To safeguard the precious human life and to ensure continuity of critical Banking operations in the unlikely event of business disruption for rendering vital banking services to the customers, the Bank has a robust and resilient Business Continuity Management System (BCMS) in place which is guided by Business Continuity Management (BCM) Policy approved by the Board..

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल हैं। इन बीसीएम दस्तावेजों में, विविध कोर, समर्थन और केंद्रीकृत कार्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार व्यवधान/ आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और परिणामी सुधार रणनीतियाँ, योजनाएँ शामिल हैं। व्यवधान की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का बीसीपी परीक्षण अभ्यासों, प्रायोगिक अभ्यास और महत्वपूर्ण आईटी एप्लिकेशनों के लिए समग्र आपदा प्रबंधन अभ्यास के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है। प्रणाली की असफलता के जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने चेन्नई में एक आपदा प्रबंधन (डीआर) साइट तथा मुंबई के समीप भी डीआर साइट की स्थापना की है। बैंक आपदा प्रबंधन साइट की क्षमता परीक्षण के लिए आधिकारिक रूप से आपदा प्रबंधन ड्रिल अभ्यासों का आयोजन करता है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर आइ-डीएबी के माध्यम से व्यवधान संबंधी घटनाओं एवं बीसीएम कार्यकलापों की रिपोर्टिंग स्वचालित है..

BCM comprises Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). The BCM documents, for various Core, Support and Centralised functions inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an on-going basis through BCP testing exercises, mock evacuation drills and Holistic DR Drill for critical IT applications.. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai & a near DR site at Mumbai. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. Reporting of any disruption incidence & BCM activities is automated through the application software i-DaB.

वैकल्पिक शाखा द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों के निष्पादन के लिए व्यवधान के मामले में खुदरा शाखाओं द्वारा बीएसपी के आह्वान की सुविधा के लिए बैंक ने ion BCP नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन भी विकसित किया है। ion BCP तीव्र प्रसंस्करण के लिए वाउचर छवियों के सुरक्षित प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है और विशेष रूप से पृथक शाखाओं के लिए सहायक है।

The Bank has also developed a mobile based application called ion BCP to facilitate invocation of BCP by retail branches in case of disruption to carry out critical activities from the alternate branch. ion BCP facilitates secure transmission of vouchers images to alternate branch for faster processing and is especially helpful for isolated branches.

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है। ब्याज दर में साधारण बदलावों, विभिन्न उत्पादों / लिखतों के बीच ब्याज दर परिवर्तन के परिमाण में भिन्नता (उदाहरण के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल, सावधि जमाओं पर ब्याज दर, अग्रिमों पर ऋण दर आदि) के अलावा यह ब्याज दर जोखिम का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ब्याज दर में परिवर्तन से बैंक की निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाने पर आनेवाली राशि) में परिवर्तन होता है जो बैंक की आमदनी पर प्रभाव डालता है, साथ ही साथ आस्ति और देयताओं के निवल आर्थिक मूल्य में परिवर्तन से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव मुख्य रूप से बैंक की आस्ति और देयताओं के मध्य परिपक्वता के परिणाम व प्रकृति और पुनर्मूल्यन के अंतर पर निर्भर करता है।

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.) it is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its Net Interest Income (Interest Income minus Interest Expenses) as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए, बैंक ने समुचित एएलएम प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति, रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया तथा सीमा संरचना शामिल है। ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम के स्रोतों की पहचान करना और उपयुक्त तरीकों के आधार पर उनके परिमाण को मापना है। इसमें समग्र ढाँचे के भीतर परिपक्वता संरचना, मूल्य निर्धारण, उत्पाद और ग्राहक समूह मिश्रण के संबंध में समुचित वित्तपोषण, ऋण देना और तुलनपत्रेतर रणनीतियाँ भी शामिल हैं। आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहन स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य के संभावित प्रभाव के संदर्भ में निर्दिष्ट है। बैंक की आस्ति-देयता समिति (एएलसीओ) बैंक के ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नियमित मापन, निगरानी और नियंत्रण पहलों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

है. जोखिम प्रबंधन विभाग (एएलएम) नियमित रूप से एएलएम अंतर को मापता है और उसकी निगरानी करता है तथा प्रभावी प्रबंधन के लिए रणनीतियों पर निर्णय लेने हेतु एएलसीओ को रिपोर्ट करता है. दैनिक आधार पर प्रणाली आधारित एएलएम रिपोर्ट सृजित करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली भी कार्यान्वित की है.

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place an appropriate ALM system which incorporates the Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and to measure their magnitude in terms of appropriate methods. It also includes appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall framework. The Bank's tolerance level for IRRBB is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. The Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and control initiatives for the Bank's interest rate risk management. Risk Management Department (ALM) regularly measures and monitors ALM mismatches and reports to ALCO for deciding on strategies for effective management. Adequate information system has also been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

आईआरआरबीबी के मापन और निगरानी हेतु ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्यन) अंतराल और अवधि अंतराल विश्लेषण विधि को प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें आय (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) और आर्थिक मूल्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) दोनों ही दृष्टिकोण शामिल होते हैं. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्ट तैयार करने में, सभी संबंधित ब्याज दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और देयताओं को अलग-अलग अवधियों के समूह में परिपक्वता या उनके अगले शेष-मूल्य निर्धारण तिथि के आधार पर, जो भी पहले हो, शामिल है. इस रिपोर्ट हेतु कोर चालू और बचत बैंक जमाओं का समूहन, "1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक", सावधि ऋणों का पूर्व-भुगतान, सावधि जमाओं के नवीनीकरण का स्वरूप आदि वार्षिक रूप से किए जाने वाले व्यवहारपरक विश्लेषण पर आधारित होता है और एएलसीओ द्वारा अनुमोदित होता है. अवधि अंतराल विश्लेषण, अवधि की गणना और ब्याज दर संवेदनशील परिसंपत्तियों और देनदारियों के भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है.

Measurement and monitoring of IRRBB are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (re-pricing) gap and Duration gap analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next re-pricing date, whichever is earlier. Assumptions made for this report are for bucketing of core current and saving bank deposits into "over 1 year to 3 years", Pre-payment of Term loans, Renewal pattern of Term Deposits etc. based on Behavioral Analysis carried out annually and approved by ALCO. Duration gap analysis is undertaken based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities.

आस्ति देयता समिति (एएलसीओ) ब्याज दर जोखिम एक्सपोजरों की नियमित निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव/ निर्देश देती है ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर आईआरआरबीबी का प्रबंधन किया जा सके.

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits.

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव - (समयावधि: 1 वर्ष)

Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points (Time Horizon: 1 year)

	परिदृश्य / Scenario	प्रभाव (₹ करोड़) / Impact (₹ Crores)
जोखिम पर अर्जन (ईएआर) Earnings at Risk (EAR)	100 बीपीएस तक बढ़ोतरी Increase by 100 bps	698.06
	100 बीपीएस तक कमी Decrease by 100 bps	(698.06)
इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) Economic Value of Equity (EVE)	100 बीपीएस तक बढ़ोतरी Increase by 100 bps	49.18
	100 बीपीएस तक कमी Decrease by 100 bps	(49.18)

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ -10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटन :

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk :

बैंक किसी आस्ति के संबंध में प्रतिपक्षकार के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसमें निधि आधारित और गैर- निधि आधारित दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है। ऋण नीति, प्रतिपक्षकार बैंक नीति, बाजार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति एवं देश जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जोकि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है। विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल उधारकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षकार ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है। साथ ही, निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया राशि, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है। पूंजी बाजार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III के अंतर्गत विनियमों के अनुसार की जा रही है।

The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & Derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectorial limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षकार की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं। लागू शर्तों एवं निबंधनों के साथ ग्राहक की उपयुक्तता और अनुकूलता के संबंध में उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। बैंक में चुनिंदा प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है। सीएसए उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रतिपक्षकों में अंतरित किया जाता है। संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर ज़रूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है। ऋण रिजर्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्क्रो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिजर्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं अन्य पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं। बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है। ऋण डेरिवेटिव का कल्पित मूल्य (हेज सहित) और विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के जरिए वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का विवरण:

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions. The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated wrong way risk exposure. The notional value of credit derivatives (including hedges) and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

यथा मार्च 2023 / As on March 2023

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

डेरिवेटिव Derivatives	कल्पित Notional	वर्तमान एक्सपोजर Current Exposure
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	7,072.66	85.36
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	790.64	157.39
मुद्रा विकल्प / Currency Options	86.88	0.00
वायदा / Forwards	1,11,417.60	2,819.66
बैंक बही (डीआईएफसी सहित) Banking Book (including DIFC)	कल्पित Notional	वर्तमान एक्सपोजर Current Exposure
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	0.00	0.00
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	12.05	4.61

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन
Table DF-11: Composition of Capital

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं रिजर्व Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		संदर्भ सं. Reference No.
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	16,075.97 ए=ए1+बी2 A=A1+B2
2	प्रतिधारित उपार्जन / Retained earnings	3,068.11 बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	19,975.40 बी3+बी4+बी5 + ई2+बी7 B3+B4+B5 +E2+E7
4	सीईटी 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 capital (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
	आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 के रूप में अनुमत शेयर आवेदन राशि Share application money allowed as CET1, pending allotment	0.00
6	विनिमायक कटौतियों से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी CET1 capital before regulatory deductions	39,119.48 बी1 / B1
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: विनिमायक समायोजन Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	0.00
8	साख (संबद्ध आस्थगित कर देयता को घटाकर) Goodwill (net of associated deferred tax liability)	0.00
9	अमूर्त आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को घटाकर) Intangibles (net of related tax liability)	130.34 एफ / F
10	संचित हानियों से जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred tax assets associated with accumulated losses	8,906.28
11	नकदी- प्रवाह बचाव हेज रिजर्व / Cash flow hedge reserve	0.00
12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी / Shortfall of provisions to expected losses	0.00
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ / Securitisation gain on sale	0.00

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore	
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ / Defined benefit pension fund net assets	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि प्रदत्त पूंजी पहले रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में समंजित न की गई हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in CET1 capital instruments	11.53	
	बैंकों की समायोजित सीईटी1 पूंजी के 10% तक सीईटी 1 पूंजी का डीटीए निर्धारण DTA recognition in CET 1 capital upto 10% of banks adjusted CET 1 Capital	2,620.24	
18	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय स्थितियों को घटाकर, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऐसी सीईटी 1 पूंजी लिखतों में उल्लेखनीय पूंजी निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (10 % की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant capital investments in CET1 capital instruments issued by financial sector entities that are outside the scope of regulatory consolidation (amount above 10% threshold)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ Deferred tax assets arising from temporary differences	2,620.24	ज़ी / G
22	15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि / Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश of which: significant investments in the common stock of financial sector entities	0.00	
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार / of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	इसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ of which: deferred tax assets arising from temporary differences	2,620.24	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	46.10	
26क 26a	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26ख 26b	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	46.10	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore
26ग 26c	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00
26घ 26d	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00
	अन्य विनियामकीय समायोजन (अतरल निवेश स्थिति) Other regulatory adjustments (illiquid investment position)	25.49
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में किया गया कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1	9,119.74
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) / Common Equity Tier 1 capital (CET1)	29,999.74
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments		
30	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32) Directly Issued Qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थायी ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt instruments)	0.00
33	एटी1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत Directly issued Capital instruments subject to phase out from AT1 capital	0.00
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-
35	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-
36	विनियामक कटौतियों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital before regulatory deductions	0.00
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	-

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति- धारिता Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	
40	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41a	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41ख	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to AT1 capital due to insufficient Tier 2 capital to cover deductions	-	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में किया गया कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to AT1 capital	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) / Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
45	टियर 1 पूंजी (टियर1= सीईटी1+एटी1) (29+44क) Tier 1 capital (Tier 1 = CET1 + AT1) (29+44a)	29,999.74	
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान / Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अर्हता टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2,105.00	डी / D
47	टियर 2 में से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0.00	डी / D
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore	
49	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50	प्रावधान / Provisions	1,758.24	ई1 / E1
51	विनियामक कटौतियों के पूर्व टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital before regulatory deductions	3,863.24	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन / Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	स्वयं के टियर 2 पूंजी लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 capital instruments	-	
53	टियर 2 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Tier 2 capital instruments	0.00	
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56क	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56ख	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है	-	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	टियर 2 पूंजी के लिए किया गया कुल विनियामक समायोजन Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00	
58	टियर 2 पूंजी (टी2) / Tier 2 capital (T2)	3,863.24	
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टियर1+ टियर2) Total capital (Total capital = Tier 1 + Tier 2)	33,862.98	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+ 60ख+ 60ग) Total risk weighted assets (60a+60b+60c)	1,64,504.99	
60क	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1,29,703.62	
60a	of which: total credit risk weighted assets		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore
60ख 60b	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां of which: total market risk weighted assets	12,214.56
60ग 60c	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां of which: total operational risk weighted assets	22,586.81
पूंजीगत अनुपात और बफर / Capital ratios and buffers		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	18.24%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	18.24%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	20.58%
64	संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता के साथ पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता of which: capital conservation buffer requirement	2.50%
66	इनमें से: बैंक आधारित प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता of which: bank specific countercyclical buffer requirement	-
67	इसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता / of which: G-SIB buffer requirement	-
68	बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	10.24%
राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल 3 न्यूनतम से भिन्न हो) National minima (if different from Basel 3 minimum)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से नीचे की राशियां (जोखिम भारिता से पहले) Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	537.62
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	648.41

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन Table DF-11: Composition of Capital		(राशि ₹ करोड़ में) ₹ Crore
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता को घटाकर) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	लागू नहीं N.A
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	लागू नहीं N.A
टियर 2 पूंजी में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 capital		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1,758.24
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	लागू नहीं N.A
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	लागू नहीं N.A
चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022))		
80	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा Current cap on CET1 capital instruments subject to phase out arrangements	लागू नहीं N.A
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक) Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	लागू नहीं N.A
82	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	लागू नहीं N.A
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक) Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	लागू नहीं N.A
84	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	लागू नहीं N.A
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक) Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	लागू नहीं N.A

टेम्पलेट के नोट / Notes to Template

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण Particular	(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर आस्तियां Deferred tax assets associated with accumulated losses	8,906.28
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से सम्बद्ध को छोड़कर) Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	2,620.24
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल / Total as indicated in row 10	11,526.52
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में हुई वृद्धि / of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	इसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में हुई वृद्धि / of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	इसमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में हुई वृद्धि / of which: Increase in Tier 2 capital	
26ख 26b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब भारत जोखिम निम्नानुसार होगा: If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि / Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि / Increase in risk weighted assets	
50	टियर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान / Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1,758.24
	टियर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां Eligible Revaluation Reserves included in Tier 1 capital	3,685.15
	पंक्ति 50 का योग / Total of row 50	5,443.40

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements:

चरण 1: / Step 1:

		(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)	
अ A	पूंजी एवं देयताएं Capital & Liabilities	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
i	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	10752.40	10752.40
	रिजर्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	35515.53	34693.06
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	138.48	0.00
	कुल पूंजी / Total Capital	46406.41	45445.46
ii	जमा राशियां / Deposits	255322.17	255439.32
	इसमें से : बैंकों से जमा राशियां / of which: Deposits from banks	19803.80	19803.80
	इसमें से : ग्राहकों से जमा राशियां / of which: Customer deposits	235518.37	235635.51
	इसमें से : अन्य जमा राशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl.specify)	0.00	0.00
iii	उधार राशियां / Borrowings	12637.75	12637.75
	इसमें से: रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	2400.00	2400.00
	इसमें से: बैंकों से / of which: From banks	578.20	578.20
	इसमें से: अन्य संस्थानों व एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00
	इसमें से: अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सि बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	6712.55	6712.55
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें / of which: Capital instruments	2947.00	2947.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions	17081.66	17080.29
	कुल / Total	331448.00	330602.82

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

आ B	आस्तियां Assets	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमा राशि Cash and balances with Reserve Bank of India	16639.28	16639.28
	बैंकों के पास जमा शेष तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	12712.69	12712.65
ii	निवेश: / Investments:	100357.36	99618.67
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	86256.94	86181.82
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities	0.00	0.00
	इसमें से : शेयर / of which: Shares	330.44	238.86
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	6203.44	6203.44
	इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	574.52	31.72
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	6992.02	6962.82
iii	ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances	162545.85	162545.85
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	351.76	351.76
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	162194.09	162194.09
iv	अचल आस्तियां / Fixed assets	9780.40	9770.89
v	अन्य आस्तियां / Other assets	29412.41	29315.48
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां / of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	इसमें से : आस्थगित कर आस्तियां / of which: Deferred tax assets	11527.03	11526.52
vi	समेकन पर साख / Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	लाभ-हानि लेखे में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	कुल आस्तियां / Total Assets	331448.00	330602.82

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

चरण 2: / Step 2:

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Reference No.
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	
अ	पूंजी एवं देयताएं			
A	Capital & Liabilities			
i	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	10752.40	10752.40	
	इसमें से : सीईटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	10752.40	10752.40	ए1 / A1
	इसमें से : एटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	
	रिज़र्व और अधिशेष Reserves & Surplus	35515.53	34693.06	
	शेयर प्रीमियम / Share Premium	5323.52	5323.56	बी2 / B2
	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve	4335.70	4335.70	बी3 / B3
	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve	3525.21	3258.60	बी4 / B4
	अन्य प्रकटित निरबंध रिज़र्व Other Disclosed Free Reserve*	9596.50	8695.94	
	लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Credit Balance in P&L account	4533.61	3068.11	
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve	8200.98	8200.98	
	इसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	3685.15	3685.15	इ2 / E2
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	138.48	0.00	
	कुल पूंजी / Total Capital	46406.41	45445.46	
ii	जमा राशियां / Deposits	255322.17	255439.32	
	इसमें से: बैंकों से जमा राशियां of which: Deposits from banks	19803.80	19803.80	
	इसमें से: ग्राहकों से जमा राशियां of which: Customer deposits	235518.37	235635.51	
	इसमें से: अन्य जमा राशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00	
iii	उधार राशियां / Borrowings	12637.75	12637.75	
	इसमें से: रिज़र्व बैंक से / of which: From RBI	2400.00	2400.00	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Reference No.
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	
इसमें से: बैंकों से / of which: From banks	578.20	578.20	
इसमें से: अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
इसमें से: अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधार राशियां, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बॉन्ड तथा ओम्नी बॉन्ड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	6712.55	6712.55	
इसमें से: पूंजीगत लिखतें of which: Capital instruments	2947.00	2947.00	
- इसमें से / - of which			
क) पात्र अतिरिक्त टियर 1 a) Eligible Additional Tier 1	0.00	0.00	सी / C
ख) पात्र टियर 2 b) Eligible Tier 2	2105.00	2105.00	डी / D
iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other liabilities & provisions	17081.66	17080.29	
इसमें से : मानक आस्तियों पर विवेकपूर्ण प्रावधान, आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टियर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए of which: Prudential provisions against standard assets, provision for unhedged foreign currency exposure and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital	1758.24	1758.24	ई1 / E1
इसमें से : आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी 1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार एवं एलआईसी से प्राप्त शेयर आवेदन राशि of which: Share application money received from GOI & LIC allowed as CET1 capital, pending allotment	0.00	0.00	
कुल / Total	331448.00	330602.82	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Reference No.
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	
आ	आस्ति / Asset			
B				
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि Cash and balances with Reserve Bank of India	16639.28	16639.28	
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	12712.69	12712.65	
ii	निवेश / Investments	100357.36	99618.67	
	इसमें से: सरकारी प्रतिभूतियां of which: Government securities	86256.94	86181.82	
	इसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां of which: Other approved securities	0.00	0.00	
	इसमें से: शेयर / of which: Shares	330.44	238.86	
	इसमें से: डिबेंचर एवं बांड of which: Debentures & Bonds	6203.44	6203.44	
	इसमें से: सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	574.52	31.72	
	इसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	6992.02	6962.82	
iii	ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances	162545.85	162545.85	
	इसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	351.76	351.76	
	इसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	162194.09	162194.09	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023) Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Reference No.
	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	
iv अचल आस्तियां / Fixed assets	9780.40	9770.89	
जिनमें से अमूर्त आस्तियां / out of which intangibles	134.47	130.34	एफ / F
v अन्य आस्तियां / Other Assets	29412.41	29315.48	
इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	
इसमें से : / Out of which:	0.00	0.00	
साख / Goodwill	0.00	0.00	
अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर) Other intangibles (excluding MSRs)	0.00	0.00	
इसमें से आस्थगित कर आस्तियां Out of which Eligible Deferred tax assets	2620.24	2620.24	जी / G
vi समेकन पर साख / Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii लाभ-हानि लेखे में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	बी6 / B6
कुल आस्तियां / Total Assets	331448.00	330602.82	

*10.27 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ट्रांसलेसन रिजर्व सहित, जो कि फ्री रिजर्व(निर्बाध निधि) का निर्माण नहीं करती.

*Includes Foreign Currency Translation Reserve amounting to Rs 10.27 Cr, which does not constitute a free reserve

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

चरण 3:- / Step 3:-

(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11 (भाग I / भाग II, जो भी लागू हो)
Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकित विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र की संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1 सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	10,752.40	ए1 / A1
2 लाभ-हानि लेखे में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account	0.00	बी6 / B6
3 संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य रिज़र्व) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	28,367.08	बी2+बी3+बी4+बी5+ई2 B2+B3+B4+B5+E2
4 आबंटन के विचाराधीन होने के कारण सीईटी1 पूंजी के रूप में अनुमत भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि Share application money received from GOI allowed as CET1 capital, pending allotment	0.00	

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - तालिका डीएफ-11 (भाग I / भाग II, जो भी लागू हो)
Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

5 सीईटी1 से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
6 सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
7 विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	39,119.48	बी1 / B1
8 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments	-	
9 साख (संबद्ध कर देयता को घटा कर) / Goodwill (net of related tax liability)	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

Table DF- 13: Main features of regulatory capital instruments

“डीएफ-13: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं वेबसाइट पर “विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2022-23(बासेल III)>>31 मार्च 2023” के अंतर्गत उपलब्ध हैं.”

“DF- 13: Main features of regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under “Regulatory Disclosure Section >> FY 2022-23 (Basel III) >> March 31, 2023”.

तालिका डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के निबंधन और शर्तें

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments issued by the Bank

“डीएफ 14. बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के लिए टर्म शीट वेबसाइट पर “विनियामक प्रकटन खंड>>वित्तीय वर्ष 2022-23 (बासेल III)>>31 मार्च 2023” के अंतर्गत उपलब्ध हैं”.

“DF- 14.The Term Sheets for regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under “Regulatory Disclosure Section >> FY 2022-23 (Basel III) >> March 31, 2023”.

तालिका डीएफ-15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटन अपेक्षाएं

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

डीएफ -15 वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में>>वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां>>अनुसूची 18>>लेखा टिप्पणियां>>बिंदु सं. 13>>पारिश्रमिक पर प्रकटनडपर उपलब्ध है.

“DF- 15 are available in “Annual Report 2022-23 >> Schedules to the Financial Statements >> Schedule 18 >> Notes to Accounts >> Point no 13 >> Disclosures on Remuneration.”.

तालिका डीएफ 16: इक्विटी - बैंकिंग बही स्थितियाँ

Table DF-16: Equities – Banking Book Positions

डीएफ - 16 गुणात्मक प्रकटीकरण / DF -16 Qualitative Disclosure

1	शेयरधारिता, जिस पर पूंजीगत अभिलाभ की अपेक्षा की जाती है और जिन्हें संबंधों और रणनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के तहत लिया जाता है, के बीच विभेदन Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons	निम्नलिखित में इक्विटी निवेश बैंकिंग बही में धारित हैं : Equity investments in the following are held in the Banking book
1	सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम (जेवी) - कंपनियों के लाभ वितरण में भाग लेने के इरादे से इन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का विचार है. इन निवेशों को एचटीएम एवं एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है. Subsidiaries & JVs - These are intended to be held for a long time with an intention to participate in the distribution of profits of the companies. These investments are classified as HTM & AFS.	
2.	सहयोगी संस्थाएं - इन निवेशों में अधिकांश निवेश पूर्ववर्ती विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) द्वारा अपने विकास बैंकिंग भूमिका को पूरा करने के लिए किए गए हैं. बैंक का विचार जब कभी मौका आने पर इन निवेशों को निर्निहित करने का है. इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है. Associates - Most of these investments were originated by the erstwhile Development Financial Institutional (DFI) in fulfillment of its development banking role. Bank intends to divest these investments as and when opportunity arises. These investments are classified as AFS.	
3.	निवेशकर्ता कंपनियों की इक्विटी पूंजी में शेयरधारिता 20% से भी कम है जो अभिदान/ खरीद/ बकाया ऋणों के इक्विटी में परिवर्तन/ क्षतिपूर्ति की वसूली के माध्यम से अर्जित है. इन्हें मध्यावधि के रूप में बनाए रखने का विचार है तथा इन्हें वापसी खरीद के माध्यम से निर्निहित और या अन्य पक्ष, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य माध्यम से बिक्री किया जाएगा. इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है. Shareholding of less than 20% in equity capital of the investee companies which has been acquired through subscription / purchase / conversion of loan dues into equity/recovery of recompse. These are intended to be held over medium term and to be divested through buyback and / or sale through third parties, stock exchanges or otherwise. These investments are classified as AFS.	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

डीएफ - 16 गुणात्मक प्रकटीकरण / DF -16 Qualitative Disclosure

2	<p>बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओं के मूल्यांकन और लेखांकन को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें प्रयोग में आ चुकी लेखांकन तकनीकों और मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण मान्यताओं और प्रथाओं के मूल्यांकन को प्रभावित करने के साथ-साथ इन प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं।</p> <p>Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices</p>	<p>रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें अधिग्रहण लागत पर वहन किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर, इक्विटी निवेश के मूल्य में किसी हास के लिए प्रावधान करना होता है। एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री पर कोई हानि होने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ होने पर उसे लाभ-हानी लेख में दर्शाया जाता है तथा इसके बाद इसका आरक्षित पूंजी, कुल करों और सांविधिक आरक्षित निधियों में विनियोजन किया जाता है।</p> <p>As per the RBI guidelines, investments classified under HTM category need not be marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss statement. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized in the profit and loss statement and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve.</p> <p>निवेश नीति के अनुसार, बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत भाव वाले इक्विटी शेयरों के दैनिक आधार पर बाजार भाव दर्शाने होते हैं। वे इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान दर उपलब्ध नहीं है या जहां शेयरों के दर स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत नहीं किए गए हैं उनको ब्रेक-अप मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर विचार किए बिना) पर मूल्यांकित किया जाता है जिसका पता कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं) से लगाया जाता है। नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपया लगाया जाता है।</p> <p>As per the Investment policy, the quoted equity shares in the Bank's portfolio are marked to market on a daily basis. Equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the stock exchanges, are valued at the break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is ascertained from the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). In case the latest balance sheet is not available the shares are valued at Re.1 per company.</p> <p>रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।</p> <p>There has been no change in these practices during the reporting period</p>
---	--	--

गुणात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosure

बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश: / Equity Investments in Banking Book:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Description	(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)
1	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश / Equity Investments in Banking Book	
	क) निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट मूल्य a) Value disclosed in the balance sheet of investments	501.26
	ख) निवेशों का उचित मूल्य b) Fair value of the investments	2256.94
	चूंकि बैंक मानता है कि ऐसे शेयरों का सार्वजनिक रूप से उद्धृत मूल्य ही इन शेयरों का उचित मूल्य है, अतः दोनों मूल्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। As Bank considers the publicly quoted share value to be the fair value of such shares, there is no material difference between the two values.	
2	निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत राशियों सहित निवेशों के प्रकार और उनकी प्रकृति : The types and nature of investments including the amount that can be classified as:	इक्विटी शेयर Equity shares
	क. सार्वजनिक रूप से किए गए लेनदेन a. Publicly traded	55.13

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Description	(राशि ₹ करोड़ में) / (Amt. in ₹ Crore)
ख. b.	निजी तौर पर धारित (असूचीबद्ध) Privately held (Unlisted)	501.88
3	रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री और परिसमापन से प्राप्त संचयी वसूली अभिलाभ (हानि) The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	(0.16)
4	कुल अप्राप्त अभिलाभ (हानि)* / Total unrealised gains (losses)*	शून्य / Nil
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन अभिलाभ (हानि)** / Total latent revaluation gains (losses)**	1,699.92
6	उपर्युक्त में से कोई राशि जो टियर 1 और या टियर 2 पूंजी में शामिल है। Any amounts of the above included in Tier 1 and or Tier 2 capital.	शून्य / Nil
7	समुचित इक्विटी समूहों द्वारा समग्र निधियों और किसी भी पर्यवेक्षी संक्रमण या नियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित पहले से लागू प्रावधानों के अधीन इक्विटी निवेश तंत्र के साथ साथ, बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप विभाजित पूंजीगत अपेक्षाएं। Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	शून्य / Nil

* अप्राप्त अभिलाभ (हानि) तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं, लेकिन लाभ-हानि लेखे के माध्यम से नहीं।

* Unrealised gains (losses) recognised in the balance sheet but not through the profit and loss account.

** अप्राप्त अभिलाभ (हानि) न ही तुलन पत्र में दर्शाए जाते हैं और न ही लाभ-हानि लेखे के माध्यम से।

** Unrealised gains (losses) not recognised either in the balance sheet or through the profit and loss account.

तालिका डीएफ 17: लीवरेज अनुपात - लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन की तुलना में लेखांकन आस्ति का तुलनात्मक सार

Table DF-17: Leverage Ratio – Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र. सं. Sr. No.	मद Item	(₹ करोड़ में) (₹ Crores)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां Total consolidated assets as per published financial statements	3,30,602.82
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजन से समेकित किया जाता है, लेकिन वे विनियामकीय रूप से समेकन के क्षेत्र में नहीं आते हैं। Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	83.03
3	न्यासी आस्तियों के लिए समायोजन जिन्हें परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया गया है, लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर मापन में शामिल नहीं किया गया है। Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन / Adjustments for derivative financial instruments	2,728.50
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार) Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	तुलन पत्र से बाहर मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन पत्र एक्सपोजर से बाहर की ऋण समतुल्य राशियों का रूपान्तरण) Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	52,726.87
7	अन्य समायोजन / Other adjustments	8,873.97
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर / Leverage ratio exposure	3,77,267.25

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

डीएफ-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

DF-18: Leverage ratio common disclosure template

क्र.सं. Sr. No.	मद Item	(₹ करोड़ में) (₹ Crores)	
	तुलन पत्र में एक्सपोजर / On-balance sheet exposures	Consolidated	Solo
1	तुलन पत्र में शामिल मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित) On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3,27,730.69	3,27,209.67
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी को ध्यान में रखकर घटायी गई राशि) (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(9,119.74)	(9,379.21)
3	तुलन पत्र में शामिल कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग) Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	3,18,610.94	3,17,830.46
	डेरिवेटिव एक्सपोजर Derivative exposures		
4	सभी डेरिवेटिव लेन-देन से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् निवल पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन) Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	359.72	359.72
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से सम्बद्ध पीएफई के लिए जोड़ी गई राशि Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2,368.79	2,368.79
6	प्रदत्त डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल राशि जहां परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटायी गई Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00	0.00
7	(डेरिवेटिव लेन-देन में की गई व्यवस्था नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य राशियों की कटौती) (Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00	0.00
8	(ग्राहक मंजूर व्यापार एक्सपोजर से संबन्धित सीपीसी लेग छूट) (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00	0.00
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव से संबन्धित समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00	0.00
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए जोड़ी गई समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि) (Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00	0.00
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग) Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	2,728.50	2,728.50

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

क्र.सं. Sr. No.	मद Item	(₹ करोड़ में) (₹ Crores)	
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर Securities financing transaction exposures			
12	बिक्री लेखांकन लेन-देन के लिए समायोजन के बाद निवल एसएफटी आस्तियां (बिना निवल राशि के) Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	3,180.00	3,180.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों से संबन्धित नकदी देयों और प्राप्य राशियों के लिए निवल राशियाँ) (Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर / CCR exposure for SFT assets	20.93	20.93
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर / Agent transaction exposures	0.00	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग) Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	3,200.93	3,200.93
तुलन पत्र से अलग अन्य एक्सपोजर / Other off-balance sheet exposures			
17	सकल आनुमानिक राशि में तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1,52,308.71	1,52,287.61
18	(ऋण समतुल्य राशियों में संपरिवर्तन के लिए समायोजन) (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(99,581.84)	(99,581.84)
19	तुलन पत्र से अलग मदें (पंक्ति 17 से 18) Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	52,726.87	52,705.77
पूंजी और कुल एक्सपोजर / Capital and total exposures			
20	टियर 1 पूंजी / Tier 1 capital	29,999.74	29,603.79
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग) Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3,77,267.25	3,76,465.67
लीवरेज अनुपात / Leverage ratio			
22	बासेल III लीवरेज अनुपात / Basel III leverage ratio	7.95%	7.86%

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2023)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2023)

प्रकाशित वित्तीय विवरणों और लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र से अलग एक्सपोजर के अनुसार कुल समेकित आस्तियों के बीच समाधान
 Reconciliation between Total consolidated assets as per published financial statements and On-balance sheet exposure under leverage ratio

क्र.सं. Sr. No.	मद Item	(₹ करोड़ में) (₹ Crores)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां Total consolidated assets as per published financial statements	3,30,602.82
2	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों से सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत, अर्थात् पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल Replacement cost associated with all derivatives transactions, i.e. net of eligible cash variation margin	2,728.50
3	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और समरूप प्रतिभूत उधार) Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	3,200.93
4	सांपाश्चिकों के लिए समायोजन तथा विनियामकीय समेकन परिसीमा से बाहर के लिए समायोजन Adjustment for Collaterals and adjustments entities outside the scope of regulatory consolidation	328.80
5	लीवरेज अनुपात के अंतर्गत तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) On-balance sheet exposure under leverage ratio (excluding derivatives and SFTs)	3,24,673.38